

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-83/25

प्रार्थी	नाम	अप्रार्थी
यूको बैंक एमआईए बासनी, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अंकुर गुप्ता		<ul style="list-style-type: none">मैसर्स कीर्तिशा फ्लोर मिल्स 61, व्यास कॉलोनी, एयर फोर्स एरिया, रेजिडेसी रोड, जिला जोधपुरस्नेह लता परिहार प्रो. मैसर्स कीर्तिशा फ्लोर मिल्स 61, व्यास कॉलोनी, एयर फोर्स एरिया, रेजिडेसी रोड, जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-30.12.2025

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स कीर्तिशा फ्लोर मिल्स व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 49,40,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा हेतु अप्रार्थीगण स्नेह लता परिहार की जायदाद प्लॉट नं. 61, हरिपुरा व्यास कॉलोनी, एरिया, रेजिडेसी रोड, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1890 वर्गफीट जिसके उत्तर



Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.12.30 15:07:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No..
19642076



में अन्य प्लॉट, दक्षिण में 20 फुट रॉड, पूर्व में प्लॉट न. 60 एवं पश्चिम में प्लॉट नं. 62 आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 15.04.2025 तक 40,81,762.75/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 49,40,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 15.04.2025 तक 40,81,762.75/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद स्नेह लता परिहार की जायदाद प्लाट न. 61, हरिपुरा व्यास कॉलोनी, एयर फोर्स एरिया, रेजिडेसी रोड, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1890 वर्गफीट जिसके उत्तर में अन्य प्लॉट, दक्षिण में 20 फुट रॉड, पूर्व में प्लॉट न. 60 एवं पश्चिम में प्लॉट नं. 62 आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के एस. बी. सिविल रिट पीटीशन नंबर 14449/25 में पारित आदेश दिनांकित 30.10.2025 के अनुसार प्रार्थी को पुलिस इमदाद बाबत खर्चा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।



आज दिनांक 30.12.2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

RajKaj Ref No.:
19642076

1

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.12.30 15:07:37 IST
Reason: Approved